



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 23, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. 28142-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है।

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि ३१ मार्च, २०१६ तक वह जीएसडीपी के ३.५ प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात् उसे बनाए रखेगी, अर्थात् :—

- (एक) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का १० प्रतिशत या उससे कम हो; तथा
- (दो) पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल परादेय ऋण जीएसडीपी अनुपात का २५ प्रतिशत या उससे कम हो।

यदि उपरोक्त उप-खण्ड (एक) या (दो) में वर्णित किसी एक शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी कि वह उस वर्ष के जीएसडीपी के ३.२५ प्रतिशत से अधिक न रहे और यदि उपरोक्त उप-खण्ड (एक) एवं (दो), दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि वह उस वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के ३.० प्रतिशत से अधिक न रहे”; .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के १४वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमाओं पर अधिकतम सीमा अधिरोपित की है, इस अनुशंसा को राज्य के “राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम” में समाविष्ट किया जाना है। अतएव, यह विनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार लेने की सीमाओं को समाविष्ट करते हुए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ११ दिसम्बर, २०१५

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित。”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।